प्रेषक,

योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) मण्डलायुक्त, गढ़वाल, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी एवं गोरखपुर।

(2) जिलाधिकारी, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा, देहरादून, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर।

(3) उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, देहरादून, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर।

आवास अनुभाग–6 लखनऊ : दिनांक : 21 अक्टूबर, 1999

विषय :नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गतं सीमाधिक्य अतिरिक्त रिक्त शुद्ध रूप से निर्विवादित शासन के कब्जे से प्राप्त भूमि निस्तारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी पाश्वांकित शासनादेशों द्वारा भूमि निस्तारण की व्यवस्था दी गयी है। निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण को सूचना अनुसार अधिनियम, 1976 की धारा–10 (3) व 10 (5) एवं 10 (6) की कार्यवाही के उपरान्त विवाद रहित शासन के कब्जे में शुद्ध रूप से प्राप्त भूमि 10,56,91,856.20 वर्गमीटर (दिसम्बर, 1998 तक) प्राप्त हुयी है, जिसका नगर बस्तीवार विवरण संलग्न सूची में उल्लिखित है। अधिनियम, 1976 के निरसन के उपरान्त उपरोक्त भूमि का शीघ्र निस्तारण किया जाना आवश्यक है ताकि शासन में निहित हो चुकी भूमि का सदुपयोग सुनिश्चित हो सके तथा खुर्द बुर्द न हो। इस हेतु निस्तारण प्रक्रिया के तहत क्रमबद्ध कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जानी है। अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन में निहित एवं कब्जा प्राप्त भूमि का निस्तारण निम्न व्यवस्था एवं समय–सारिणी अनुसार सुनिश्चित किया जाय :–

(1) सर्वप्रथम सभी शासकीय विभागों के स्थानीय अधिकारियों से 20 दिन का समय देते हुये ज्ञात कर लिया जाय कि क्या उन्हें शासकीय प्रयोजन हेतु भूमि की आवश्यकता है। इस प्रकार उन विभागों की सूची तैयार कर ली जाय, जिन्हें आवश्यकता है।

(15 नवम्बर, 1999 तक पूर्ण)

(2) इस बीच शासन में निहित हो चुकी / कब्जा प्राप्त भूमि जो उपलब्ध करायी जा सकती है, को सूचीबद्ध कर लिया जाय। उन्हें मौके पर भी चिन्हित कर लिया जाय। यह कार्य इच्छुक विभागों की सूची तैयार करने तक पूरा कर लिया जाय।

(15 नवम्बर, 1999 तक पूर्ण)

(3) विभागों की सूची पूर्ण होते ही इन विभागों की एक बैठक कर ली जाय, जिसमें उन्हें उपलब्ध भूमि का ब्यौरा तथा मौके पर दिखा दी जाय तथा विकल्प ले लिया जाय कि वे कौन सी भूमि लेना चाहते हैं।

(30 नवम्बर, 1999 तक विकल्प प्राप्त कर लिया जाय)

(4) प्राप्त माँग तथा विकल्पों पर यथा सम्भव विचार करते हुये आवंटन का प्रस्ताव 31 दिसम्बर, तक अन्तिम कर लिया जाय। इस हेतु सभी इच्छुक विभागों की बैठकें इस बीच आवश्यकतानुसार कर ली जायं।

(31 दिसम्बर, 1999 तक आवंटन प्रस्ताव को अन्तिम रूप)

(5) सक्षम स्तर से प्रस्तावित आवंटन का अनुमोदन 15 जनवरी, 2000 तक प्राप्त कर आवंटन पत्र निर्गत कर दिया जाय।

(15 जनवरी, 2000 तक)

(6) अवशेष भूमि के निस्तारण के लिये नजूल भूमि के अनुसार नीलामी / सील्ड बिड आमंत्रण किया जाना होगा। इस हेतु नीलाम किये जाने वाली भूमि की सूची 31 जनवरी, 2000 तक तैयार कर लिया

जाय। इन्हें मौके पर भी चिन्हित कर दिया जाय। इनका निस्तारण समुचित 'लाट' तद्नुसार 31 जनवरी व 31 मार्च, 2000 के मध्य किया जाय।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित करते हुये कत कार्यवाही की प्रगति से शासन को भी प्रत्येक माह की 15 तारीख तक अवगत कराया जाय।

मण्डलायुक्त प्रत्येक कार्यवाही की समयान्तर्गत पूर्ण होने की समीक्षा कर मुझे अवगत कराते रहेंगे।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
योगेन्द्र नारायण
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
2. निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण सचिव, आवंटन समिति को इस निर्देश के साथ कि वे जिलाधिकारी से सम्पर्क कर उपरोक्त भूमि के निस्तारण एवं चिन्हीकरण की कार्यवाही प्राथमिकता पर करायें एवं कृत कार्यवाही से निदेशक के माध्यम से शासन को सूचित करें। आवश्यक अपेक्षित सहयोग सक्षम प्राधिकारियों से भी प्राप्त कर लें।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

अधिनियम की धारा–10(3) व (10) 5ए 10(1) की सूचना का विवरण माह जनवरी, 1999 तक

नगर बस्ती काधारा 10(3) में प्रकाशनार्थधारा 10(3) के अन्तर्गतधारा 10(5) व 10(6) शासन के कब्जे में शुद्ध रूप

नाम भेजी गई अधिसूचनाएं प्रकाशित होकर राज्यके अंतर्गत कुल कब्जे में से प्राप्त भूमि/अपील आदि

में निहितआई भूमि के बाद

1.	देहरादून	411	1243451.47	388	1163916.38	427912.70	154	406246.96
2.	सहारनपुर	1293	10025643.02	1179	80861.04	3753893.01	503	2286862.58
3.	मेरठ	1492	14176236.33	932	7330035.26	2003502.19	413	2003522.19
4.	मुरादाबाद	1513	5279495.47	1481	4943371.00	3678074.33	1100	3471050.19
5.	बरेली	4451	21555405.48	4256	21524645.28	5143987.42	1588	4915507.16
6.	अलीगढ़	921	6219192.15	757	4658602.63	1131258.11	205	845583.07
7.	आगरा	3867	28879165.43	3837	28590736.43	10978524.87	852	8835592.14
8.	कानपुर	4350	63575678.16	3804	38222074.67	8622209.13	665	6544282.73
9.	लखनऊ	4210	27354425.19	4163	27156917.10	15071468.00	2300	15071468.00
10.	इलाहाबाद	8863	66413852.13	7667	61351528.87	49669380.35	6708	49406070.14
11.	वाराणसी	5749	31228107072	4483	26300032.62	10266212.45	1533	10157992.40
12.	गोरखपुर	837	2795147.40	661	2225945.24	1743207.57	569	1667668.57 (सूचना दिसम्बर 98) तक तैयार की गई है।
	योग :–	37957	278748000.05	33608	232353905.60	112511651.22	16650	105691856.20